रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2019/माघ 19, 1940
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2019/MAGHA 19, 1940

IndiaCode

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी , 2019

सं.12/एक्स/एसटीडी(सी.ओ.एन.एन)/जीएम/सीईए/2018.—विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम (3) के उप-नियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए प्रारूप विनियम का प्रस्ताव छह दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रकाशनों से अनर्विष्ट समाचार-पत्रों की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई तारीख से तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने से पूर्व इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त विनियमों में अंतर्विष्ट उक्त समाचार पत्रों की प्रतियाँ 02 मई, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया था;

अतः अब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है), के विनियम 1 के उप-विनियम (1) में, "वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन" शब्दों के स्थान पर, "33 किलोवोल्ट से कम संयोजन" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में :-

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(ख) "आवेदक", से उत्पादन कंपनी, चार्जिंग स्टेशन, प्रोजूमर या 33 केवी वोल्टेज से कम स्तर पर विद्युत प्रणाली से संयोजन के इच्छुक व्यक्ति अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(घक) "चार्जिंग पॉइंट", से निजी या सार्वजनिक गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक यान की बैटरी रिचार्ज करने की 415/220 वोल्ट से जुड़ी सुविधा अभिप्रेत है;

(घख) "चार्जिंग स्टेशन", से वाणिज्यिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक यान की बैटरी रिचार्ज करने की सुविधा अभिप्रेत है और इसमें गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग के लिए कई चार्जिंग पॉइंट भी सम्मिलित होंगे तथा इलेक्ट्रिक यान से विद्युत को ग्रिड में स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे;';

(iii) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(ञक) "प्रोजूमर", से ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित किसी ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करता है तथा संयोजन के उसी बिंदु का उपयोग कर ग्रिड में विद्युत को इंजेक्ट भी कर सकता है;';

(iv) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(ढ) "उपयोगकर्ता", से चार्जिंग स्टेशन, प्रोजूमर या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विद्युत प्रणाली से जुड़ा हुआ है या उत्पादक कंपनी जिसका वितरित उत्पादन संसाधन विद्युत प्रणाली से जुड़ा हुआ है;';

4. उक्त विनियम के विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियमों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“3. इन विनियमों का लागू होना - ये विनियम उन सभी उत्पादक कंपनियों या वितरित उत्पादन संसाधनों के स्वामित्व वाले व्यक्तियों, चार्जिंग स्टेशनों, प्रोजूमरों या उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो 33 केवी वोल्टेज स्तर से नीचे विद्युत प्रणाली से जुड़े हैं या जुड़ने के इच्छुक हैं:

परंतु ऐसे किसी मामलों में जिसमें कि अनुज्ञप्तिधारक के पास वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों, चार्जिंग स्टेशन या प्रोजूमर का भी स्वामित्व हो, जिससे इसे जोडा जाना है, में विनियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(9) आवेदक और उपयोगकर्ता केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।"

6. उक्त विनियम के विनियम 11 में "वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के लिए मानक" शब्दों के स्थान पर" वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों और उत्पादक के रूप में कार्य करते समय प्रोजूमरों के लिए मानक" शब्दों को रखा जाएगा।

7. उक्त विनियम के विनियम 11 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"11क चार्जिंग स्टेशन, प्रोजूमर या विद्युत् प्रणाली से जुड़े व्यक्ति अथवा संयोजन के इच्छुक व्यक्ति के लिए मानक-

(1) आवेदक विभिन्न दोषों और असामान्य स्थितियों का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेगा और दोषपूर्ण उपकरण या प्रणाली को स्वत: अलग करने के लिए उचित साधन प्रदान करेगा।

(2) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके उपकरण या प्रणाली के दोष से ग्रिड पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(3) उपयुक्त अनुज्ञप्तिधारक अपने विद्युत् प्रणाली के साथ संयोजन की अनुमति देने से पहले नेटवर्क की पर्याप्तता और स्थिरता का अध्ययन करेगा।

(4) उपयोगकर्ता द्वारा कामन कपलिंग बिंदु पर करंट हार्मोनिक्स को इंजेक्ट करने की सीमा, हार्मोनिक माप की विधि तथा अन्य ऐसे मामलों में समय-समय पर यथासंशोधित आई.ई.ई.ई. 519-2014 मानकों के अनुसार होंगे।

(5) आई.ई.सी. 61000-4-30 क्लास ए के उपबंधों का अनुपालन करते हुए पॉवर क्वालिटी मीटर के द्वारा हार्मोनिक्स का माप और मापन एक सतत प्रक्रिया होगी।

(6) उप-विनियम (5) में उल्लिखित माप व मीटर किये गये आंकड़ें, वितरण अनुज्ञप्तिधारक के पास उपलब्ध होंगे और उपभोक्ता के साथ समय-समय पर साझा किये जाएंगे।

(7) 11 केवी या इससे अधिक के संयोजन के इच्छुक आवेदक पॉवर क्वालिटी मीटर स्थापित करेंगे और रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों को वितरण अनुज्ञप्तिधारक के साथ इस तरह की आवधिकता के साथ साझा करेंगे, जैसा उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

परंतु यह कि 11 केवी और उससे अधिक स्तर पर जुड़े हुए उपयोगकर्ता, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2018 के लागू होने की तारीख से बारह महीनों के भीतर इस उप-विनियम के उपबंध का पालन करेंगे।

(8) हार्मोनिक्स के अतिरिक्त, वोल्टेज सैग, स्वैल, उतार-चढ़ाव, अवरोधों जैसे अन्य विद्युत् गुणवत्ता मानकों की आवधिक माप प्रासंगिक आई.ई.सी. मानक के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट उपभोक्ता के साथ साझा की जाएगी "।

8. उक्त विनियम के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"14 **प्राधिकरण द्वारा बनाई गई रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण** - उपयोगकर्ता या आवेदक, जैसा भी मामला हो, अपनी ऐसी क्षमता वाली उत्पादन इकाई और स्टेशन को उस प्रभावी तारीख से जो कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, प्राधिकरण द्वारा **रजिस्ट्रीकरण** कराएगा और विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूनिक **रजिस्ट्रीकरण** नंबर) प्राप्त करेगा

परंतु कि किसी भी उत्पादन इकाई या उत्पादन स्टेशन को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रभावी तारीख से **रजिस्ट्रीकरण** के बिना ग्रिड से संयोजन नही दिया जाएगा।

15. **विनियमों का अनुपालन** - (1) यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित अनुज्ञप्तिधारक की होगी कि ग्रिड से संयोजन के पहले, उक्त विनियमों में निर्धारित संयोजन से संबंधित सभी उपबंधों का अनुपालन आवेदक द्वारा कर लिया गया है।

(2) उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग को सूचित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उपयोगकर्ता का इन विनियमों के किसी भी उपबंध के गैर-अनुपालन के लिए ग्रिड से विच्छेदन किया जा सकता है।"

16. **विनियमों में शिथिलता**- प्राधिकरण, उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी मामले के संबंध में लिखित आदेश के द्वारा उसका कारण दर्ज करते हुए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./529/18]

टिप्पण– मूल विनियमों को भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में तारीख 7 अक्टूबर 2013 की अधिसूचना संख्या 12/एक्स/एसटीडी (सी.ओ.एन.एन)/जीएम/ सीईए/2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2019

No.12/X/STD(CONN)/GM/CEA/2018.—Whereas the draft regulation proposing to amend the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule (3) of the Electricity (Procedure for previous Publication) Rules, 2005, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said publications were made available to the public;

And whereas copies of the said newspapers containing the said regulations were made available to the public on the 02nd May, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 (hereinafter referred to as the said Regulations), in regulation 1, in sub-regulation (1), for the words "Connectivity of the Distributed Generation Resources", the words "Connectivity below 33 kilovolts" shall be substituted.

3. In regulation 2 of the said regulations, in sub-regulation (1).

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

'(b) "applicant" means a generating company, charging station, prosumer or a person seeking connectivity to the electricity system at voltage level below 33 kV;';

(ii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely: -

'(da)" charging point" means a facility for recharging of batteries of *electric vehicle for private or public non-commercial use, connected at 415/220 Volts;*

(db) "charging station" means a facility for recharging of batteries of *electric vehicles for commercial use and shall also include multiple charging points for non-commercial public use and capable of transferring power from electric vehicle to the grid;';*

(iii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely: -

'(ja) "prosumer" means a person, including energy storage system, which consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid, using same point of connection;';

(iv) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely: -

'(n) "user" means a charging station, prosumer or a person who is connected to the electricity system or a generating company whose distributed generation resource is connected to the electricity system;';

4. For regulation 3 of the said regulation, the following regulations shall be substituted, namely: -

"3. Application of these regulations - These regulations shall apply to all generating companies or persons owning distributed generation resources, charging stations, prosumers or persons who are connected to or seeking connectivity with the electricity system below 33 kV voltage level:

Provided that in case, a licensee owning the electricity system to which connection is to be made, also owns the distributed generation resources, charging station or prosumers, these regulations shall apply mutatis mutandis.".

5. In regulation 4 of said regulations, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(9) The applicant and the user shall comply with the cyber security guidelines issued by the Central Government from time to time."

6. In regulation 11 of the said regulations, for the words "Standards for distributed generation resources", the words **"Standards for distribution generation resources and prosumers, when acting as a generator"** shall be substituted.

7. After regulation 11 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"11A. **Standards for charging station, prosumer, or a person connected or seeking connectivity to the electricity system.** -

(1) The applicant shall provide a reliable protection system to detect various faults and abnormal conditions and provide an appropriate means to isolate the faulty equipment or system automatically.

(2) The applicant shall ensure that fault of his equipment or system does not affect the grid adversely.

(1) The appropriate licensee shall carry out adequacy and stability study of the network before permitting connection with its electricity system.

(2) The limits of injection of current harmonics at the point of common coupling by the user, method of harmonic measurement and other such matters, shall be in accordance with the IEEE 519-2014 standards, as amended, from time to time.

(3) The measuring and metering of harmonics shall be a continuous process with power quality meters complying with the provisions of IEC 61000-4-30 Class A.

(6) The data measured and metered as mentioned in sub-regulation (5), shall be available with the distribution licensee and be shared with the consumer periodically.

(7) The applicant seeking connectivity at 11 kV or above shall install power quality meters and share the recorded data thereof with the distribution licensee with such periodicity as may be specified by the appropriate Electricity Regulatory Commission:

Provided that the user connected at 11 kV and above shall comply with the provision of this sub-regulation within twelve months from the date of commencement of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Amendment Regulations, 2018.

(8) In addition to harmonics, periodic measurement of other power quality parameters such as voltage sag, swell, flicker, disruptions shall be done by the distribution licensee as per relevant IEC standard and the reports thereof shall be shared with the consumer".

8. After regulation 13 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :-

"14. **Registration in Registry maintained by the Authority. -** The user or the applicant, as the case may be, shall get its generating unit and station of such capacity and with effect from such date as may be fixed by the Authority, registered and obtain an online generated Unique Registration Number from the Authority:

Provided that no generating unit or generating station shall be granted connectivity with the grid without the unique registration number with effect from such date as may be fixed by the Authority.

15. **Compliance of regulations. -** (1) It shall be the responsibility of concerned licensee to ensure that before connectivity to the grid, all the provisions with regard to the connectivity stipulated in these regulations are complied with by the applicant.

(2) The user may be disconnected from the grid by the licensee for non-compliance of any provision of these regulations, under report by the licensee to the appropriate Electricity Regulatory Commission.".

16. **Relaxation of Regulations. -** The Authority, by order in writing and the reason to be recorded, may relax any provision of these regulations in respect of any matter referred to the Authority on the case to case basis.".

P. C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./529/18]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No.12/X/STD(CONN)/GM/CEA/2018, dated the 7th October, 2013.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.02.12 17:37:48 +05'30'